न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
सीमा खेतान (आरटीएस)
दिनांक–.19.3.19

मि.न.– 61/19

सरकार बनाम ओमप्रकाश

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पुरूषोतमपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम बेरी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 391/2438 रकबा 0.31है0 किस्म जमीन सिवायचक बा–3 मेंसे 0.025है0 पर ओमप्रकश पुत्र रामरतन शर्मा निवासी शहीद विक्रम सिंह नगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने गेंहॅ कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया तथा नाही कोई सबूत साक्ष्य पेश किया गया । लिहाजा गैरसायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र रामरतन शर्मा निवासी शहीद विक्रम सिंह नगर कोटपूतली का वाके ग्राम बेरी के खसरा नंबर 391/2438/0.031 है0 किस्म जमीन बा–3 सिवायचक सरकारी भूमि में से 0.25 है 0 भूमि पर गेंहूँ कास्त करना अतिक्रमण करने की श्रेणी में आता है जिसके विरूद्व अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः ओमप्रकाश पुत्र रामरतन शर्मा निवासी शहीद विक्रम सिंह नगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम बेरी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 391/2438/0. 31है0,किस्म जमीन बा0–3 मे से 0.25है0 पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा उक्त आराजियात से मौके पर खडी गेंहूँ की फसल को कब्जे राज लिया जाकर निलाम कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथ्था नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान 2.0रू का पचास गुणा राशि 100 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया

जाता है। वास्ते बेदखली, पैलन्टी वसूल,फसल निलामी भू – अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का को लिखा जावे , मांग कायमी हेतु तहसील राजस्वलेखाकार को लिखा जावे ।निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 19.3.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।